कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक- **62**/दो-11-2/2020, रामानुजगंज, दिनांक 09/04/2024

न्यायिक जिला स्थापना बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) के सहायक ग्रेड-3 के रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने हेतु गठित चयन/प्रशासनिक समिति के चयन/प्रतिक्षा सूची के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी की नियुक्ति सहायक ग्रेड-3 के पद पर वेतनमान लेवल-4 (19500-62000/-) पर निर्धारित वेतन पर अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की परीविक्षा अवधि में निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

क्र.	रोल नम्बर	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पता	संवर्ग
1.	1480	कु. रश्मि शर्मा आ. श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, ग्राम डांड़गांव माझापारा सरगुजा (छ.ग.)	अनारक्षित (मुक्त)

//नियुक्ति की शर्तें//

1. उक्त नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।

2. चयनित कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय आवश्यक रूप से मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज की मूल प्रति एवं एक छायाप्रति स्वप्रमाणित, कार्यभार ग्रहण करते समय कार्यालय में अवलोकन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

3. चयनित अभ्यर्थी का कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके समस्त दस्तावेजों के जांच के अध्याधीन है तथा यदि दस्तावेज पात्रतानुसार नहीं पाये जाने अथवा उचित/सही नहीं पाये जाने पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से वंचित किया जा सकेगा तथा उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

4. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह शासकीय सेवा हेतु फीट (योग्य) है। यदि वह स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

5. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी और जब तक स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हें परिवीक्षा पर माना जायेगा।

6. चयनित अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि में कार्य, व्यवहार एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर अथवा अन्य कारणों से उनकी सेवाएं एक माह का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

7. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय चरित्र सत्यापन हेतु अनुप्रमाणन फार्म पूर्ति कर तीन प्रतियों में शपथ पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा। यदि चरित्र सत्यापन में शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाया गया तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। (अनुप्रमाणन फार्म संलग्न है।)

8. चयनित अभ्यर्थी यदि वे स्वंय सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो एक माह की पूर्व सूचना कार्यालय प्रमुख को देनी होगी या यदि तुरन्त कार्य मुक्त होना चाहे तो एक माह की सूचना के बदले एक माह वेतन-भत्ता जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो उन्हें नियोक्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दी जायेगी या ऐसी सूचना के बदले एक माह का वेतन देकर तुरन्त सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।

9. कार्यालय प्रमुख/नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति उपरांत ही उच्च शिक्षा हेतु आवेदन अथवा अध्ययन प्रारंभ की जा सकेगी।

10. कार्यालय प्रमुख/नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं की जावेगी।

11. शैक्षणिक तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा नियुक्ति हेतु कोई तथ्य छुपाया जाना पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना सूचना के निरस्त कर दी जावेगी।

12. चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् उनकी पदस्थापना जिला स्थापना बलरामपुर स्थान रामानुजगंज अंतर्गत किसी भी न्यायालय या अनुभाग में की जा सकती है।

13. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्रसारित होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। नियत अवधि के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनकी नियुक्ति एतद् द्वारा निरस्त की जा सकेगी।

14. चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का क्रम वहीं रहेगा, जो इस आदेश में अंकित है।

15. कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी के लिए शपथ लेना अनिवार्य होगा कि वे विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।

सही/-
(अशोक कुमार साहू)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश

पृष्ठांकन क्रमांक-609 /दो-11-2/2020, रामानुजगंज, दिनांक 09 /04/2024

<u>प्रतिलिपिः-</u>

1. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर की ओर रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक 6049/डी.ई./तीन-18-27/2023 दिनांक 12.05.2023 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज
3. अध्यक्ष, चयन/प्रशासनिक समिति कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामानुजगंज
4. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामानुजगंज
5. प्रशासनिक अधिकारी/न्यायालय उपाधीक्षक/लेखापाल/कार्यालय प्रेषक/देयक लिपिक कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6. सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामानुजगंज की ओर न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7. कु. रश्मि शर्मा आ. श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, ग्राम डांड़गांव माझापारा सरगुजा (छ.ग.)

9.4.2024

(अशोक कुमार साहू)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश

:: अनुप्रमाणनकर्ता ::

चेतावनी :—

1. अनुप्रमाणनकर्ता से असत्य जानकारी देना या किसी तथ्य तक जानकारी को छिपाना अनर्हता मानी जायेगी और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्ता ठहराया जा सकेगा।

---

2. इस कर्ता को पूरा करने और प्रस्तुत करने के पश्चात् उम्मीदवार निरुद्ध किया जाये। सिद्ध दोष ठहराया जाये या वर्जित आदि कर दिया जाये तो तत्संबंधी ब्यौरे यथा स्थिति, राज्य लोक सेवा आयोग या उस अधिकारी को, जिसे अनुप्रमाणन कर्ता पहले भेजा गया हो। शीघ्र ही सूचित किये जाने चाहिये, अन्यथा यह माना जायेगा कि तथात्मक जानकारी छिपाई गई है।
3. यदि यह तथ्य अनुप्रमाणन कर्ता के असत्य जानकारी दी गई है। या यह कि कोई तथात्मक जानकारी छिपाई गई है किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आये तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

---

1. पूरा नाम(स्पष्ट अक्षरों में) तथा उपनाम यदि कोई हो (यदि अपने किसी भी अवस्था में अपने नाम या कुलनाम में कुछ जोड़ा हो या हटाया हो तो कृपया उसका उल्लेख कीजिये) — कुलनाम(सरनेम) — नाम

---

2. वर्तमान पूरा पता(अर्थात ग्राम, थाना तथा जिला, या घर क्रमांक,गली,मार्ग,सड़क तथा नगर और राज्य जिसमें वह स्थित हो)

(क) घर का पूरा पता(अर्थात्) ग्राम,थाना तथा जिला या घर क्रमांक, गली, मार्ग, सड़क तथा नगर(और जिला मुख्यालय का नाम और राज्य जिसमें वह स्थित हो)

(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हो तो उस देश में आपका पता तथा भारतीय संघ में प्रवास की तारीख।

---

3. निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे जहां आप पिछले पांच वर्षों के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों, यदि विदेश (जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हैं) में रहे हों तो उन सभी स्थानों के ब्यौरे दिये जाने चाहिये जहां आप 21 वर्ष की आयु के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों।

शेष पृष्ठ 2 पर...

से	तक	निवास का पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला अथवा घर क्रमांक गली, मार्ग, सड़क तथा नगर)	पूर्ववर्ती खाने में उल्लेखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम तथा वह राज्य जिसमें वह स्थित है।
1	2	3	4

4. पिता का:—
   - (क) पूरा नाम तथा उपनाम यदि कोई हो :..
   - (ख) वर्तमान डाक पता(यदि स्वर्गवास हो गया हो तो पिछला पता दीजिए) :..
     :..
   - (ग) घर का स्थायी पता :..
   - (घ) व्यवसाय :..
   - (ङ) यदि किसी सेवा में हो तो उनका पदनाम तथा कार्यालय का पता दीजिये। :..
     :..

(I) नीचे उल्लिखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता:—
   - (क) पिता :..
   - (ख) माता :..
   - (ग) पति/पत्नि :..
   - (घ) उम्मीदवार :..

(II) पति/पत्नि का जन्म स्थान :..

5. (क) जन्म तारीख :..
   - (ख) वर्तमान आयु :..
   - (ग) मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु :..

6. (क) जन्म स्थान, जिला तथा राज्य स्थित हो। :..
   :..
   - (ख) वह जिला तथा राज्य जहां के आप निवासी हैं। :..
     :..

(क) आपका धर्म :..
   - (ख) क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं हां या नहीं में उत्तर दीजिये और यदि आपका उत्तर हां में हो तो

शेष पृष्ठ 3 पर...

उस जाति विशेष का नाम लिखिये। :...

7. शैक्षणिक अर्हताएं :—

वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिये जहां आपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो।

शाला/महाविद्यालय का नाम तथा पूरा पता	प्रवेश की तारीख	शाला/महाविद्यालय छोड़ने की तारीख	उत्तीर्ण परीक्षा
1	2	3	4

8. यदि आप कभी नियोजित रहे हों तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिये :—

धारित पद का नाम या कार्य का स्वरूप।	अवधि	कार्यालय,फर्म अथवा संस्था का पूरा पता।	पिछली सेवा छोड़ने के कारण।
1	2	3	4

9. (क) क्या आप कभी गिरफ्तार किये गये हैं, क्या आप पर कभी अभियोजन बताया गया है, तथा आप कभी निरूद्ध किये गये हैं, या आपसे मुचलका लिया गया है। आप पर जुर्माना किया गया है, क्या आप किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं या आपसे किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा इसके द्वारा संचालित परीक्षाओं। किये जाने वाले चयन में से सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है। उनके लिये अनर्ह ठहराया गया है, या क्या आपको किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है। निष्काषित किया गया है।

:...

(ख) क्या इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय किसी भी न्यायालय विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षण्कि प्राधिकरण संस्था में आपके विरूद्ध कोई मामला लंबित है।

:...

....

शेष पृष्ठ 4 पर..

यदि (क) अथवा (ख) में पूछे प्रश्नों के संबंध में आपके उत्तर "हॉ" में हो तो आपका इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय मामले, गिफ्तारी, निरोध, जुर्माने, दोषसिद्धि तथा दंडादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिये तथा इस फार्म को भरते समय न्यायालय विश्वविद्यालय शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समय से मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिये। इस जानकारी के अतिरिक्त जहां लागू हो वहां निम्नलिखित ब्यौरे भी दिये जायेगें :–

अपराध/आरोप, पुलिस थाने का पंजीयन, यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम, मामले का कमांक, न्यायालय द्वारा उसका निपटारा किस तारीख को किया गया, दिया गया दण्ड, क्या दोषमुक्त कर दिया गया ?, दोषमुक्त संदेह के लाभ पर आधारित है या मामला वापस ले लिया गया था। क्या आप किसी ऐसे संघ या संगठन जो सरकार द्वारा विधि, विरूद्व घोषित किया गया था अथवा किया गया है, के सदस्य रहे है या उसके सहयोगी रहे है, यदि ऐसा हो तो पूर्ण विशिष्टता दें ।

जैसे – संघ/संगठन का नाम, सदस्यता अथवा सम्बद्वता की कालावधि/अवधि इत्यादि...

....

....

(टिप्पणी:– कृपया इस अनुप्रमाणन फार्म के उपर दी गई चेतावनी भी देखें)

::प्रमाण–पत्र::

मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ववर्ती जानकारी, जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास है सही और पूर्ण है। मैं ऐसी किन्ही भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ, जिनके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिये मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हो। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपयुक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जाये तो नियुक्ति प्राधिकारी को, बिना सूचना दिये या बिना कारण बताये मेरी सेवायें समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा।

दिनांक :
स्थान :

उम्मीदवार के
हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी भी एक के हस्ताक्षर होने चाहिये:–

1. केन्द्रीय या राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी,
2. संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य,
3. सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अधिकारी,
4. तहसीलदार या नायब उप तहसीलदार, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उपयोग करने के लिये प्राधिकृत हो,

   शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्राधानचार्य तथा प्रमुख,

शेष पृष्ठ 5 पर...

5. खंड विकास अधिकारी,
6. पोस्ट मास्टर,
7. पंचायत निरीक्षक,

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... पिता/पति का नाम श्री .... को पिछले वर्षो................... .... माह से जानता हूँ तथा उनके द्वारा दिये गये ब्यौरे, जहाँ तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास है, सही है।

स्थान :
दिनांक:

हस्ताक्षर...
पदनाम या स्थिति तथा पता
....

(कार्यालय द्वारा भरा जावे)

1. नियुक्ति प्राधिकारी का नाम :..
   पदनाम और पूरा पता :..
2. यह पद, जिसके लिये उम्मीदवार के संबंध में विचार किया जा रहा है।
   :..

:: प्रतिज्ञा पत्र ::

मैं .... आत्मज .... शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखुंगा, तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा।

अतः ईश्वर मेरी सहायता करें।

हस्ताक्षर

Annexure – XI

(Vide part 6)

CHARACTER CERTIFICATE

Certified that Shri ....

son of Shri .... Resident of

....

is known to me for the last .... to and .... months and that the best of my knowledge and belief he bears a reputable character and has no antecedents to my knowledge which may render him unsuitable for employment under Government.

Shri .... is not related to me.

Place :-
Dated :-

Signature/Designation

Here state the name of the candidate with his-

Fathers in titles –

To be signed by any of the following.
Two Gazetted officers of the central/state Government.
A Stipendiary Magistrate.

(10 /– रूपये के स्टाम्प में शपथ पत्र तैयार करना है)

समक्ष– श्रीमान् पब्लिक नोटरी महोदय, रामानुजगंज (छ0ग0)

शपथ पत्र

मैं ....पिता श्री ....उम्र.... ....वर्ष निवासी ....तह0.................जिला......................... जो कि निम्नलिखित कथन शपथ पूर्वक करता हूं कि :–

1. यह कि मेरा नाम व पता उपरोक्तानुसार है जो कि सत्य एवं सही है।
2. यह कि मेरी नियुक्ति जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर स्थान रामानुजगंज में .. .. के पद पर हुई है।
3. यह कि मै अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आता हूं।
4. यह कि मेरे विरूद्व भारत के किसी भी थाने में अपराध पंजीबद्व नहीं हुआ है और न ही किसी भी न्यायालय में दण्डित हुआ हूं।
5. यह कि मुझे कभी भी लोक सेवा आयोग द्वारा या उसके संबंधित परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित नहीं किया गया है। मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शौक्षणिक प्राधिकरण/संस्था के द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं किया गया है।
6. यह कि मुझे यह शपथ पत्र जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर स्थान रामानुजगंज में प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक है।

शपथकर्ता

सत्यापन

मै ....यह सत्यापित करता हूं कि शपथ पत्र के उपरोक्त कंडिका 1 से 6 तक मेरे ज्ञान से सत्य एवं सही है। आज दिनांक .... को मुकाम ....में अपना हस्ताक्षर किया हूं।

सत्यापनकर्ता